पत्रांक– वित्त(SFC)–12 / 24(9)...235...वि0आ0

झारखण्ड सरकार

राज्य वित्त आयोग

रॉची दिनांक...02-12-2024...

प्रेषक,

अध्यक्ष,
राज्य वित्त आयोग,
झारखण्ड, रॉची।

सचिव,
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
झारखण्ड सरकार, रॉची।
रॉची।

विषय–झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के प्रावधान तथा 73वें संविधान संशोधन के अनुसूची 11 में वर्णित विषयों से संबंधित शक्तियों का पीआरआई (PRI) में प्रत्योजन एवं अनुपालन की स्थिति के संबंध में।

प्रसंग्र–State Finance Commission letter No.वित्त (SFC)–12 / 24–57 / वि0आ0 दिनांक–15.05.2024 एवं 108 / वि0आ0 दिनांक–01.07.2024।

महोदय,

उक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था तथा आपको स्मारित भी किया गया था, लेकिन अधतन आपके कार्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आपसे दूरभाष पर विमर्श कर भी स्मारित किया गया था। आप अवगत है कि 13वें भारत वित्त आयोग ने एक निर्धारित विन्दुओं पर राज्य वित्त आयोगो को प्रतिवेदन प्रेषित करने का निदेश दिया है, जिसकी पुष्टि 15वें वित्त आयोग नें भी अपने प्रतिवेदन में की है। इस क्रम में आपेक्षित सूचनाएं आपके कार्यालय से प्राप्त होना अति आवश्यक है। आप अवगत है कि आयोग के स्तर पर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है तथा कोई डाटा बेस भी उपलब्ध नहीं है। अतः अनुरोध है कि यथाशिध्र प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

2. उक्त के अतिरिक्त निम्न विन्दुओ पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट किया जाए।

(i) एक नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए नामित नोडल पदाधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी सहित व्यौरा उपलब्ध कराया जाए

(ii) वित्तीय वर्ष 2018–19, 2023–24 तक की विभाग के अंतर्गत संचालित राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा तथा योजनाओं का सोशल ऑडिट, इम्पेक्ट स्टडी की स्थिति अगर शोसल ऑडिट/स्टडी की गई हो तो प्रतिवेदल तथा एटीआर (Action Taken Report) का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।

(iii) आपके विभाग के अधीन गठित निदेशालय, आयोग तथा समितियों का संक्षिप्त ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए।

(iv) दिव्यांग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर Status दें।

(v) भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा मल्टिलेटरल एजेंसी यूनिसेफ इत्यादि द्वारा अगर, कोई स्टडी विभिन्न पहलुओं (कुपोषण,बाल विवाह, डायन प्रथा, घरेलू हिंसा, महिला अत्याचार दहेज प्रथा इत्यादि) पर किया गया है तो उसकी प्रतिवेदन की प्रति Actionable implementable point के साथ एटीआर की स्थिति भी स्पष्ट करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई संवेदनशील विषय आपके विभाग के क्षेत्राधिकार में हो तो उसका भी जिक्र करना चाहेंगे।

3. आपके विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं (वृद्ध,दिव्यांग, विधवा इत्यादि) का संचालन किया जाता है जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित होती है। वर्ष 2018–19 से वर्ष 2023–24 के बीच लाभुकों की संख्या में कितनी वृद्वि हुई है, इसका व्यौरा जिलावार उपलब्ध करायें तथा वृद्वि (प्रतिशत में) अंकित करें, साथ ही साथ संबंधित जिलें के कुल आवादी का कितना प्रतिशत आवादी ऐसी योजनाओं से आच्छांदित है। इसका व्यौरा एकीकृत तथा योजनावार उपलब्ध कराया जाए। Universal Pension योजना क्या है? Universal Pension योजना के अंतर्गत कौन–कौन scheme है? विभागीय वार्षिक वजट का कितना प्रतिशत इन योजनाओं में व्यय होता है?

4. आंगनवाड़ी भवन पर पेयजल, विधुत व्यवस्था तथा स्वच्छता व्यवस्था की क्या स्थिति है। जिलावार स्पष्ट किया जाए, कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्कूल परिसर में

अवस्थित है? आंगनवाड़ी केन्द्र पर स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय की क्या स्थिति है?

5. अर्तविभागीय समन्वयय यथा ग्रामीण विकास,पंचायत राज, पेयजल एवं स्वच्छता, स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता, कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से करने की क्या स्थापित प्रक्रिया है? उसका संकल्प/परिपत्र की प्रति उपलब्ध कराया जाए।

6. राज्य खाध आयोग तथा अन्य केन्द्र/राज्य के संबंधित विभिन्न आयोग के प्रतिवेदन में आगंनवाड़ी की क्या स्थिति है?

7. जीपीडीपी अंतर्गत चयनित योजनाएं जो पीआरआई द्वारा संशाधन कें अभाव में कार्यान्वित नहीं हुई, क्या प्रशासी विभाग अपने विभाग से संबंधित ऐसी अकार्यान्वित योजनाओं को अपने विभागीय बजट में शामिल कर कार्यान्वित करता है? अगर हॉ तो कितनी योजनाएं?

8. प्रशासी विभाग की आयोग से क्या अपेक्षा है?

अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग

ज्ञापांकः– वित्त(SFC)–12/24(9)–235 वि0आ0 **रॉची, दिनांक– 02–12–24**
प्रतिलिपिः– सचिव, वित्त विभाग,झारखण्ड रॉची के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष
राज्य वित्त आयोग